न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –20/2009 जिला सीकर

1. धोलूराम पुत्र स्व. श्री श्यामाराम – मृतक जरिये वारिसान
1/1 श्रीमती कमली देवी पत्नी धोलूराम यादव
1/2 पप्पू पुत्र धोलूराम यादव
1/3 सुभाष पुत्र धोलूराम यादव
1/4 श्रीमती रोशनी पुत्री धोलूराम यादव
समस्त जाति अहीर, निवासी ढाणी ठिकरिया वाली तन झाडली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।
2. हणमान पुत्र स्व. श्री श्यामाराम यादव
3. श्रीरामफूल स्व. श्यामाराम यादव
निवासी ढाणी ठिकरिया वाली तन झाडली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. गिरधारी लाल पुत्र श्री फूलाराम
2. फूलाराम पुत्र श्यामाराम
3. दाखा देवी पत्नी स्व. श्यामाराम
4. नाथी पुत्री स्व. श्यामाराम
5. झूमा पुत्री स्व. श्यामाराम
6. तारा पुत्र स्व. श्यामाराम
समस्त जाति अहीर, निवासीयान ढाणी ठिकरिया वाली तन झाडली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।
7. नायब तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 17.7.2009

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री पवन पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री मुकेश शर्मा

निर्णय

दिनांक– 1.8.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 17.7.2009 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम झाडली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खाता संख्या 466 खसरा किता 10 कुल रकबा 1.94 हैक्टेयर में 1/5 हिस्से, खाता संख्या 530 खसरा किता 8 कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर में 1/5 हिस्से , खाता संख्या 531 खसरा नम्बर 1991 रकबा 0.09 हैक्टेयर में 1/20 हिस्से, खाता संख्या 533 खसरा नम्बर 2.39 रकबा 1.01 एवं खाता संख्या 517 खसरा किता 2 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर में 1/5 हिस्से का खातेदार भगवाना पुत्र श्यामाराम कौम अहीर था । भगवाना पुत्र श्यामाराम के अविवाहित दिनांक 14.3.2008 को फौत होने पर रजिस्टर्ड गोद पत्र दिनांक 1.9.2007 के आधार पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 1435 नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला

सीकर द्वारा दिनांक 26.11.2008 को दत्तक पुत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 गिरधारी लाल के नाम तस्दीक किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 1435 दिनांक 26.11.2008 से व्यथित होकर भगवाना के भाई धोलूराम वगैहरा द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.7.2009 द्वारा भगवाना के फौत होने पर गोद लेख पंजीयन दिनांक 1.9.07 को भगवाना पुत्र श्यामा हि. 1/5 दर्ज होने का भरे जाने तथा माता का हक त्याग पंजीयन दिनांक 19.11.2008 के द्वारा किये जाने, प्रार्थी के गोद ग्रहिता पिता का हिस्सा 1/5 होने या 1/9 होने के संबंध में इस नामांतरकरण में तय नहीं किये जा सकने एवं श्यामा की विरासत के नामांतरकरण की अपील न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं होने से यह तथ्य इसी नामांतरकरण में ही तय किया जाना मानते हुये इस नामांतरकरण संख्या 1435 दिनांक 26.11.2008 में किसी प्रकार की अशुद्धि नही पाते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की है । अति. जिला कलक्टर सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.7.2009 के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलधीन आदेश अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 17.7.2009 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1435 दिनांक 26.11.2008 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का मूल खातेदार श्यामाराम था जिसके भगवान सहाय, धोलूराम, हणमान, फूलाराम, श्रीराम पुत्रान व झूमा, तारा पुत्रियां व दाखा देवी पत्नी श्यामाराम थे । इस प्रकार भगवान सहाय का विवादित भूमि में 1/9 हिस्सा बनता है , लेकिन गलत रूप से भगवान सहाय का 1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया गया । भगवान सहाय कंवारा व पागल था इसलिये रेस्पोंडेन्ट 1 व 2 गिरधारी व फूलाराम ने साजिश कर विवादित भूमि का प्रश्नगत नामांतरकरण गिरधारी के नाम नायब तहसीलदार से तस्दीक करवा लिया । उनका कहना था कि मृतक खातेदार भगवाना द्वारा रेस्पोंडेन्ट गिरधारी को गोद लिये जाने के संबंध मे गोद पुत्र का विवाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन था एवं मृतक खातेदार भगवाना की माता जिन्दा है । उनका कहना था कि नायब तहसीलदार द्वारा मृतक भगवाना के अन्य विधिक वारिसान की जॉच नहीं की तथा सहखातेदारान व वारिसान को नोटिस नहीं दिया गया । उनका यह भी कहना था कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ था । नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक वारिसान को बिना नोटिस दिये व बिना सुने तस्दीक किया गया है, जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर ने भी बिना विधिक स्थिति का परीक्षण किये एवं प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.7.2009 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट्स की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मृतक खातेदार भगवाना की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण रजिस्टर्ड गोद पत्र के आधार पर रेस्पोंडेन्ट गिरधारी लाल दत्तक पुत्र भगवाना के नाम नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक किया है । उनका कहना था कि रजिस्टर्ड गोदनामे को निरस्त कराने व उद्घोषणा का वाद उनवानी श्रीराम बनाम गिरधारी

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नम्बर 2 सीकर के निर्णय दिनांक 16.2.2015 द्वारा अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया है एवं प्रर्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीराम बनाम गिरधारी निर्णय दिनांक 7.11.2006 को खारिज किया है तथा एस.बी. सिविल अपील संख्या 4792/08 उनवानी श्रीराम बनाम गिरधारी एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 6.3.2012 से खारिज की है । उनका कहना था कि मृतक खातेदार भगवाना का विवादित भूमि में 1/5 हिस्सा होने या 1/9 हिस्सा होने संबंधी अधिकारों का निर्धारण नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में नहीं हो सकता क्योंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । प्रनगत नामांतरकरण रजिस्टर्ड गोद पत्र के आधार पर तस्दीक हुआ है वह विधिक रूप से तब तक निरस्त नहीं हो सकता जब तक रजिस्टर्ड गोद पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता । अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत नामांतरकरण उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार भगवाना के कंवारे व लॉओलाद फौत होने पर उसकी विरासत के नामांतरकरण का है । नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने मृतक भगवाना की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण रजिस्टर्ड गोद पत्र के आधार पर रेस्पोंडेन्ट गिरधारी दत्तक पुत्र भगवाना के नाम तस्दीक किया है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट्स की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.7.2009 द्वारा खारिज की है । अपीलान्ट श्रीराम का वाद बाबत उद्घोषणा व निरस्त किये जाने गोदनामा दिनांक 1.9.2007 न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नम्बर 2 सीकर के निर्णय दिनांक 16.2.2015 द्वारा अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज हो गया है एवं प्रर्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीराम बनाम गिरधारी निर्णय दिनांक 7.11.2006 को खारिज हुआ है तथा एस.बी. सिविल अपील संख्या 4792/08 उनवानी श्रीराम बनाम गिरधारी एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 6.3.2012 से खारिज हो चुकी है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार भगवानाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1435 नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 26.11.2008 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 गिरधारी लाल दत्तक पुत्र भगवानाराम के नाम स्वीकृत किया है तथा भगवानाराम द्वारा गिरधारी लाल के पक्ष में लिखे गये रजिस्टर्ड गोदनामें दिनांक 1.9.2007 को निरस्त कराये जाने एवं उद्घोषणा बाबत वाद न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नम्बर 2 सीकर द्वारा दिनांक 16.2.2015 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया है तथा श्रीराम का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी निर्णय दिनांक 7.11.2006 द्वारा खारिज किया है । एस. बी. सिविल अपील संख्या 4792/08 उनवानी श्रीराम बनाम गिरधारी एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 6.3.2012 से खारिज हो चुकी है । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1435 दिनांक 26.11.2008 के खिलाफ धोलूराम वगैहरा की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.7.2009 से भगवाना के फौत होने पर गोद लेख पंजीयन दिनांक 1.9.07 को भगवाना पुत्र श्यामा हि. 1/5 दर्ज होने का भरे जाने तथा माता का हक त्याग पंजीयन दिनांक 19.11.2008 के द्वारा किये जाने, प्रार्थी के गोद ग्रहिता पिता का हिस्सा 1/5 होने या

1/9 होने के संबंध में इस नामांतरकरण में तय नहीं किये जा सकने एवं श्यामा की विरासत के नामांतरकरण की अपील न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं होने से यह तथ्य इसी नामांतरकरण में ही तय किया जाना मानते हुये नामांतरकरण संख्या 1435 दिनांक 26.11.2008 में किसी प्रकार की अशुद्धि नही होने से अपील अपीलान्ट खारिज की है । उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रश्नगत नामांतरकरण एवं अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 1.8.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

( चित्रा गुप्ता )
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर